सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ाइल संख्या.13-39/5/2020-इंजीनियरिंग-नौमनि   दिनांक: 01.01.2021

नौमनि आदेश संख्या 2021 का 01

विषय: समुद्रकर्मियों के सक्षमता प्रमाणपत्र/प्रवीणता प्रमाणपत्र का विस्तार

1. जबकि, दिनांक 30.09.2021 के नौमनि आदेश संख्या 26/2020 के माध्यम से, नौवहन महानिदेशक ने दिनांक 31.12.2021 तक या एक-संपर्क जो भी पहले है, सीओपी की रेटिंग के विस्तार की अनुमति दी है, बशर्ते कि-
   (i) निदेशालय द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेश/एसओपी के अंतर्गत रेटिंग द्वारा कोई विस्तार का लाभ ना उठाया गया हो और
   (ii) दिनांक 31.12.2020 को या पोत पर उससे पूर्व नियुक्त/नियुक्त होंगे
   (iii) नियुक्ति दिनांक को संलग्न अनुलग्नक I के अनुसार निरंतर पेशेवर सक्षमता को पूरा करना.
2. जबकि, दिनांक 03.11.2020 के नौमानी आदेश संख्या 33/2020 के माध्यम से, नौवहन महानिदेशक ने दिनांक 31.12.2021 तक या एक-संपर्क जो भी पहले है, तब तक मास्टरों एवं अधिकारियों के लिए सीओसी/सीओपी के विस्तार की अनुमति दी थी, बशर्ते कि,
   (i) निदेशालय द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेश/एसओपी के अंतर्गत मास्टर या अधिकारी द्वारा कोई विस्तार का लाभ ना उठाया गया हो और
   (ii) दिनांक 30.11.2020 को या पोत पर उससे पूर्व नियुक्त/नियुक्त होंगे
   (iii) नियुक्ति दिनांक को संलग्न अनुलग्नक I के अनुसार निरंतर पेशेवर सक्षमता को पूरा करना.
3. जबकि, आईएनएसए/एफओएसएमए/एमएएसएसए ने उनकी प्रस्तुतीकरण में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने हेतु दूरवर्ती स्थान और कोविड-19 के कारण उत्पन्न निरंतर महामारी की वर्तमान स्थिति जिसके कारण उत्पन्न अप्रत्याशित स्थिति में समुद्रकर्मियों से विनिमय करने की ज़रूरत जैसे कई कारणों को दर्शाते हुए मास्टरों, अधिकारियों एवं रेटिगों के विस्तार के उपर्युक्त प्रावधानों के विस्तार का अनुरोध किया है और दिनांक 31.12.2021 तक रेटिंगों की और दिनांक 30.06.2021 तक अधिकारियों की अवधि के विस्तार का अनुरोध किया है.
4. यह देखते हुए कि अगस्त 2020 में, निदेशालय ने दिनांक 04.08.2020 के नौमनि आदेश संख्या 20/2020 के माध्यम से ई-शिक्षण, वर्चुअल क्लास/ऑनलाइन वीडियो सत्र एवं एक्ज़िट परीक्षा सहित तीन-स्तरीय क्रियाविधि द्वारा प्रारंभ में पुनःवैधीकरण पाठ्यक्रम आयोजन की सुविधा प्रदान

की थी और दिनांक 19.12.2020 के नौमनि आदेश संख्या के माध्यम से ई-शिक्षण, वर्चुअल क्लास/ऑनलाइन वीडियो सत्र, प्राक्टिकल एवं एक्ज़िट परीक्षा सहित तीन स्तरीय प्रशिक्षण क्रियाविधि द्वारा एसटीसीडब्ल्यू पाठ्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी थी.

5. दिनांक 31.12.2021 को/ से पूर्व नियुक्त होने वाले सभी समुद्रकर्मियों को दी गयी विस्तार की अनुमति को ध्यान में रखते हुए, जो कि लगभग 1 वर्ष की अवधि के लिए है, महामारी के खतम होने के पश्चात पुनःवैधीकरण के बिना अनिवार्य पाठ्यक्रमों की पूर्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों कि लंबी कतार को उत्पन्न करेगी.

6. आगे, यह भी नोट किया जाता है कि निदेशालय के नए रूप से बनाए गए तीन स्तरीय प्रणाली द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण की पोरती को सुविधात्मक बनाने के सिर्फ पाँच महीने हुए हैं.

7. उपर्युक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय ने नियुक्ति का दिनांक या एक-संपर्क जो भी पहले हो, तब से दिनांक 31.12.2021 तक निम्नानुसार सभी उन समुद्रकर्मियों की, जो निम्नलिखित में सभी का पालन करते हें, उनकी सीओसी और/या सीओपी के विस्तार की अनुमति दी है:

   (i) नौमनि आदेश संख्या 20/2020 के जारी होने पर/पश्चात समुद्रकर्मी का साइन-ऑफ

   (ii) पोत पर या तट पर पहले से जारी गए निदेशालय आदेश/परिपत्र/एसओपी के अंतर्गत समुद्रकर्मी ने सीओसी/सीओपी का कोई विस्तार का लाभ न उठाया हो।

   (iii) समुद्रकर्मी दिनांक 31.03.2021 को/ उससे पूर्व पोत पर नियुक्त हो और नियुक्ति दिनांक से संलग्न अनुलग्नक I में विस्तृत निरंतर पेशेवर सक्षमता का प्रदर्शन करता है.

01/01/21

(अमिताभ कुमार)
नौवहन महानिदेशक एवं
अपर सचिव, भारत सरकार